न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(14)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3752 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.01.2016 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 42/अपील/14-15.

धन्नालाल आ. श्री सुखराम
निवासी ग्राम दामखेड़ा तहसील बैरसिया,
जिला भोपाल, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. हबीब मोहम्मद पिता रफीक मोहम्मद,
2. शरीफ मोहम्मद पिता रफीक मोहम्मद
   सभी निवासी ग्राम झिकरियाखुर्द,
   तहसील बैरसिया, जिला भोपाल, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री दीपक सिंह, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/12/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 27.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा दिनांक 15.09.2011 को तहसीलदार बैरसिया जिला भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम दामखेड़ा तहसील बैरसिया में स्थित भूमि ख.क्र. 262/1/2, 262/1/3, 262/1/5 एवं 262/1/6 प्रत्येक का रकबा 2.85 एकड़ शासन द्वारा उन्हें पट्टे पर प्रदान की गई थी व कब्जा सौंपा गया था,

किंतु उक्त भूमि पर अनावेदकगण ने कब्जा कर लिया है और उनके पट्टे की भूमि का कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, अत: अनावेदकगण का कब्जा हटाकर पट्टे की भूमि का कब्जा दिलाया जाये। आवेदक के आवेदन पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रकरण क्र. 555/बी-121/12-13 दर्ज कर दिनांक 23.01.2013 को आवेदक को 7 दिवस के भीतर कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया एवं दिनांक 07.02.2013 को आवेदक को गवाहों के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा सौंप दिया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष अवमानना याचिका क्र. 531/13 दायर की जो आज भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर करने के साथ-साथ अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया के समक्ष भी विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी, किंतु दिनांक 24.04.2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् दिनांक 25.04.2013 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील को Not press करके वापस ले लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचारण न्यायालय ने संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव प्रेषित किया, जिसे स्वीकार कर विचारण न्यायालय को आदेश दिनांक 23.01.2013 के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई। अनुमति प्राप्त होने के उपरांत विचारण न्यायालय ने प्रकरण संस्थित कर दिनांक 16.05.2013 को पारित आदेश के द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 23.01.2013 को निरस्त कर आवेदक के स्थान पर अनावेदकगण को सिविल प्रकरण क्र. 166-ए/94 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2006 के आलोक में प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य सौंपने का आदेश पारित किया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे आदेश दिनांक 22.10.2014 के द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 16.05.2013 निरस्त कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 27.01.2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22.10.2014 क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किया गया। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) संहिता की धारा 51 (आदेशों का पुनर्विलोकन) के संबंध में पावधान दिये गये हैं, जिनका पालन किया जाना अत्यंत ही आवश्यक निर्धारित किया गया है। संहिता की धारा 51 में Review of order के पैरा (एक) (ऐ) में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जावेगा, या उल्टा नहीं जावेगा, जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना नहीं दी गई हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि के संबंध में जांच के दौरान भूमि स्वामी पट्टेधारी को कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही उसे कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा विधि विरूद्ध तरीके से आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई है, जो कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से विधि विरूद्ध है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक 16.05.2014 संहिता की धारा 51 में निहित प्रावधानों के विपरीत है, जिसमें पुनर्विलोकन हेतु हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिये बिना आदेश पारित किया है। आयुक्त द्वारा इस ओर किंचित मात्र भी दृष्टिगत ना कर विधि विरूद्ध प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) इसी तरह धारा 51 (एक) (दो) में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी ऐसे आदेश का जिसकी की अपील की गई हो या जो किन्हीं पुनरीक्षण कार्यवाहियों का विषय है। उस समय तक पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा, जब तक की कार्यवाहियां लंबित रहती हों। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में कार्यवाही लंबित है तथा वर्तमान में प्रचलनशील है। उक्त जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होने के उपरांत भी उनके द्वारा आदेश का पुनर्विलोकन किया गया, जो कि विधि विरूद्ध है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2014 में उक्त लंबित कार्यवाहियों का विस्तृत उल्लेख किया है। इसी तरह आदेश दिनांक 23.01.2013 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 25.04.2013 को अनावेदकगण द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त अपीलों को नॉटप्रेस का आवेदन प्रस्तुत कर अपील प्रचलित नहीं रखने का अनुरोध किया था। अपील के प्रचलन के दौरान ही पुनर्विलोकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। आयुक्त द्वारा उक्त तथ्यों की ओर किंचित मात्र भी दृष्टिगत न कर दिनांक 27.01.2016 को विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) इसी तरह धारा 51 (एक) (तीन) में स्पष्ट प्रावधान है कि आदेश के पुर्नविलोकन के लिए 60 दिवस के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। अनावेदकगण द्वारा आलोच्य आदेश

दिनांक 23.01.2013 के विरूद्ध दिनांक 22.04.2013 को लगभग 90 दिवस पश्चात् आवेदन प्रस्तुत किया था, जो समयावधि बाह्य होने से पुनर्विलोकन के लिए ग्रहण किये जाने योग्य नहीं था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य के संबंध में भी अपने आदेश दिनांक 22.10.2014 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आयुक्त द्वारा इस ओर भी किंचित मात्र दृष्टिपात ना कर विधि विरूद्ध असंवैधानिक आदेश पारित कर वैधानिक भूल की है। आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2016 विधिसम्मत ना होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान कराये गये कब्जे के उपरांत भूमि को हांक जोत कर कठोर परिश्रम कर फसल बोने योग्य बनाया है। वर्तमान में आवेदक उक्त वादग्रस्त भूमि पर सर्वविदित, शांतिपूर्वक, बिना किसी बाधा व अवरोध के कब्जा रखकर कृषि कार्य कर रहा है तथा उससे अर्जित आय से अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। विधि विरूद्ध तरीके से किये गये पुनर्विलोकन के आधार पर अगर अनावेदकगण, आवेदक को भूमि से बेदखल करने हेतु प्रयासरत् है। अगर वह अपने कुप्रयास में सफल हो गये तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी, तथा वह न्याय पाने से वंचित रह जावेगा। आयुक्त द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान ना देकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने तथा विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन ना कर विधि विरूद्ध तरीके से पुनर्विलोकन की अनुमति तथा किये गये पुनर्विलोकन वैधानिक प्रक्रिया का अनुचित उपयोग किया गया था, जिसे दिनांक 22.10.2014 के आदेश के द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित कर संशोधित किया गया था। आयुक्त द्वारा उक्त आदेश को अपास्त कर, वैधानिक भूल की है।

उक्त तर्कों के समर्थन में 2017(2) आर.एन. 157 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया। अनावेदक क्र. 2 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। संहिता की धारा 51(1) परंतुक(2) में प्रावधानित है कि किसी भी ऐसे आदेश का, जिसकी अपील की गई है, या जो किन्हीं पुनरीक्षण कार्यवाहियों का विषय है, उस समय तक पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाहियां लंबित रहती हैं। अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 23.01.2013 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो कि दिनांक 25.04.2013 को नोटप्रेस किये जाने के कारण निरस्त हुई है और तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.04.2013 को पुनर्विलोकन की कार्यवाही करते हुए पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया, अर्थात् अपील लंबित रहते हुए पुनर्विलोकन की कार्यवाही की गई है, जो कि उपरोक्त आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस संबंध में 2000 आर.एन. 76 (शहीद अनवरवि. राजस्व मंडल तथा अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है-

> "धारा 51 परंतुक (एक) - पुनर्विलोकन के लिए मंडल अथवा अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मंजूरी - दूसरे पक्ष को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रदान नहीं की जा सकती।"

इसी प्रकार 2015 आर.एन. 447 (अनिता कुशवाह वि. मोहनचंद तथा एक अन्य) में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिदपादित किया गया है-

> "धारा (1) परंतुक (एक) - पुनर्विलोकन की मंजूरी - हितबद्ध व्यक्ति को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रदान नहीं की जा सकती।"

अत: उपरोक्त विश्लेषण एवं माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा तथा इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में की गई पुनर्विलोकन की कार्यवाही एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई पुनर्विलोकन की अनुमति विधि के प्रावधानों के

पूर्णतः विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह भी मुख्यतः विचाराधीन प्रश्न है कि पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये अपने पूर्व आदेश को उलट दिया गया है। इस संबंध में संहिता की धारा 51 के परंतुक (एक-क) में प्रावधानित है कि किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जायेगा या उलटा नहीं जायेगा, जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो। स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 23.01.2013 के पुनर्विलोकन की कार्यवाही विधि के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत की गई है, इसलिए पारित आदेश दिनांक 16.05.2013 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है। तहसीलदार द्वारा गुण-दोष पर भी अपने पूर्व आदेश दिनांक 23.01.2013 को निरस्त करने में अवैधानिकता एवं अनियमितता की गई है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है। जहां तक आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, आयुक्त द्वारा मुख्यतः इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है कि एक बार पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने के पश्चात् तथा उसके पालन में तहसीलदार द्वारा आदेश संशोधित कर दिये जाने के उपरांत अपील के प्रक्रम पर पुनर्विलोकन के प्रकरण की विवेचना नहीं की जा सकती है, जो कि वैधानिक एवं उचित आधार नहीं है, कारण यदि पुनर्विलोकन प्रकरण में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है, तब ऐसे प्रकरण की वैधानिकता पर किसी भी स्तर पर विचार किया जा सकता है। अतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2016 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2014 स्थिर रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर